तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
7-4-15	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० हो। प्रतिवादी नं० 4,5 की तलबी सही पते पर की जावे। पत्रावली दि० 19-5-15 को पेश हो [signature]	
19.5.15	पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि०...23-6-15 कैम्प अहमदपुर को पेश हो। [signature] रीडर 2804-65 / 151645	
23-6-15	पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प अहमदपुर मे पेश हुई। वादी रमेश उपस्थित है। वादी ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वह कुछ अन्य जानकारी के साथ नवीन दावा पेश करना चाहता है इसलिए इस दावे को वापिस लेने की एवं नवीन दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। वादी को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को यह दावा वापिस लेने व नवीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] (रवि कुमार शर्मा) एड० सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी [signature] (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
रमेशचन्द ऐनर		

५

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रमेश पुत्र शोबक्स, रैगर निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. पुखराज पुत्र रामकिशन पौत्र मिश्रा, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. महेश पुत्र रामकिशन पौत्र मिश्रा, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. मोती पुत्र मिश्रा, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. नरसी पुत्र मिश्रा, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. मोती पुत्र शोबक्स, रैगर निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 158/2012

वादी की ओर से वादी रमेश की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी ——— की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 23.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को वाद वापिस लेने की एवं नवीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 23.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	